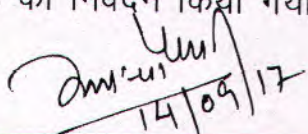


इसलिये धारा 2(35) के अनुसार Deemed Sale के आधार पर कर देयता का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अपीलार्थी द्वारा घोषणा प्रपत्र-सी के समर्थन पर माल का क्रय राज्य के बाहर से किया गया और इसी ट्रांजिट के दौरान माल का विक्रय कर दिये जाने के कारण, उक्त माल की आपूर्ति सीधे ही क्रेता को करने के निर्देश अपीलार्थी द्वारा विक्रेता को दिये गये। जिसके तहत विक्रेता द्वारा माल की आपूर्ति सीधे ही क्रेता को कर दी गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मात्र विक्रय बिल में क्रेता का नाम अंकित होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त संव्यवहारों को राज्य के भीतर विक्रय संव्यवहार निर्धारित किया गया जो कि न्यायोचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 26 के तहत नोटिस जारी कर escaped assessment मानकर कर निर्धारण किया जाना विधि विरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज पर प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनना पाया जाने के संबंध में कोई आधार नहीं उल्लेखित किया बल्कि एक Non Speaking आदेश पारित किया। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी एवं बकाया मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

- 1 M/s Parle Products Pvt. Ltd Vs. State of Rajasthan (2013) 35 Tax Update 196 (RHC)
2. BSL Wulfling Limited Vs. state of Rajasthan & Ords (2008) 12 VST 300(RHC)
3. Choudhary Construction Company Vs. The Deputy Commr RLW 2003 (1) Raj. 409 Dated 04-10-2001
4. BGR Energy Systems Limited Vs. AC, A/E, Kota (2013) 37 Tax Update 238(RTB)DB

राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में वाहन डम्पर्स मैसर्स एसोसियेटेड सॉप स्टोन डिसट्रिब्यूटिंग कम्पनी प्रा.लि. उदयपुर को लीज पर दिये गये। जिसके एवज में लीज राशि 1,21,34,880/- रुपये प्राप्त किये हैं जो Right to use the goods के एवज में प्राप्त की गयी है। उक्त प्राप्त लीज राशि पर धारा 2(35) के अनुसार Deemed Sale के आधार पर कर देयता बनती है। व्यवहारी द्वारा राशि 21,80,523/- रुपये माल के अन्तर्राज्यीय बिक्री को परिवहन के दौरान (Transit Sale) बिक्री किया जाना दर्शित किया है एवं CST अधिनियम की धारा 6(2) का लाभ लिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि उक्त माल पर प्रथम बिक्री पर भी द्वितीय विक्रयता का नाम उल्लेखित है। इसलिये व्यवहारी द्वारा CST अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन की गयी बिक्री अविधिक है। व्यवहारी को धारा 6(2) लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया है।


14/09/17



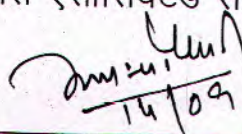
लगातार.....3

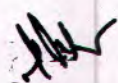
उभयपक्षों की बहस एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत Written Submissions पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के Non Speaking आदेश पारित किये जाने का आधार लेकर स्थगन के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में होने का कथन किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेख है कि यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। Non Speaking आदेश ही स्थगन का एक मात्र और पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। वह भी ऐसी परिस्थितियों में जब वर्तमान प्रकरण में इस पीठ के समक्ष अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं तथ्यों का स्थगन के संदर्भ में विवेचन किया जा रहा है।

व्यवहारी द्वारा 2180523/- रुपये का माल अन्तर्राज्यीय बिक्री को परिवहन के दौरान (Transit Sale) बिक्री किया जाना दर्शित किया है एवं CST अधिनियम की धारा 6(2) का लाभ लिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि उक्त माल पर प्रथम बिक्री पर भी द्वितीय विक्रेता का नाम उल्लेखित है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर माल के अन्तर्राज्यीय खरीद को परिवहन के दौरान (Transit Sale) बिक्री किया जाना दर्शित किया है एवं उक्त माल की प्रथम बिक्री पर ही द्वितीय क्रेता का नाम अंकित कर दिया है। अपीलार्थी एवं द्वितीय क्रेता दोनों स्थानीय हैं तथा Transit के दौरान माल का विक्रय द्वितीय क्रेता को हुआ हो ऐसा प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण के इस प्रक्रम गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए बकाया मांग को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने स्थगन आदेश दिनांक 10.07.2017 में केवल अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों में सीएसटी एक्ट की धारा 6(2) के संव्यवहार का उल्लेख किया गया है। जबकि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वहांनों को उपयोग हेतु एक निश्चित राशि पर उपलब्ध कराये गये थे जिसके सम्बन्ध में वर्तमान प्रकरण में विवाद का यह बिन्दु भी है कि व्यवहारी द्वारा अपने वाहनों को प्रयोग हेतु लीज पर दिया गया था या नहीं। क्या इसमें Right to use the goods का Transfer हुआ है व जिसके लिये धारा 2(35) के अनुसार Deemed Sale के आधार पर कर आरोपित किया जाये। जिसके संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.07.2017 में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि वर्तमान प्रकरण में लीज राशि पर कर की राशि अपीलार्थी द्वारा ट्रांजिट बिक्री की दर्शाई राशि से कहीं अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्तमान प्रकरण में अन्य प्रकरणों में पारित आदेशों की प्रति प्रकरण के नम्बर बदल कर इस प्रकरण में भी संलग्न कर दी गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य किया जा रहा है तब अपीलीय अधिकारी द्वारा सरसरी तौर पर कार्य किया जाना लापरवाही का द्योतक है।

अपीलार्थी द्वारा डम्पर्स एक निश्चित राशि 1,21,34,880/- रुपये पर मैसर्स एसोसियेटेड सॉप स्टोन डिसट्रिब्यूटिंग कम्पनी प्रा. लि. उदयपुर को


14/09/17



लगातार.....4

उसकी साईट पर उपयोग के लिये उपलब्ध कराये। इस संबंध में अपीलार्थी का यह तर्क है कि आलौच्य अवधि में उक्त वाहनों डम्पर्स का स्वामित्व एवं कब्जा अनन्य रूप से अपीलार्थी कम्पनी के पास ही था। इस प्रकरण में यह महत्वपूर्ण विवाद का यह बिन्दु है कि व्यवहारी द्वारा अपने वाहनों को प्रयोग हेतु लीज पर दिया गया था या नहीं ? क्या इसमें Right to use the goods का Transfer हुआ है, जिसके लिये धारा 2(35) के अनुसार Deemed Sale के आधार पर कर आरोपित किया जाये ? जिसके संबंध में जैसा उपर विवेचन किया जा चुका है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.07.2017 में उल्लेख ही नहीं किया गया।

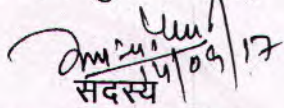
प्रकरण अभी अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। प्रकरण के इस प्रक्रम गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए लीज राशि पर आरोपित कर 18,20,232/- व उस पर देय ब्याज की राशि की बकाया मांग को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है।

प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना राशि 18,20,232/- व उस पर देय ब्याज की राशि की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

शेष अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।

अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धार 38(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया।


सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर



अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर